



(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

Most Immediate
RBA No. 14/2020
GST Circular No. 9/2020

2018/AC-II/1/14

11.02.2020

General Managers,
All Zonal Railways/ Production Units

Sub : Matching of GSTR-2A data – Input Tax credit reconciliation.

Ref : Railway Board's Circular (RBA No. 13/2020 dated 4.02.2020)

A facility has been provided in IPAS, in the first week of February, 2020 for making corrections in Invoice Number, Invoice Date and Place of Supply, for those Invoices which are not matching in GSTR-2A. Corrections have been permitted for T4 and C2 category, where Input Tax Credit (ITC) has not been availed/adjusted earlier. The data has been provided by CRIS/ASP team. User manual has also been made available on home screen of IPAS application.

Immediate action may be taken by Railways to correct the aforesaid data as per protocol brought out in Board's letter *ibid*. The above task should be completed on or before 14.02.2020 and reported through email at gst@railway.gov.in. This will ensure Indian Railways to avail ITC.

Given the huge impact on cash outflows, this exercise may be treated as 'MOST URGENT'.

(Anjali Goyal)
PED/Accounts
Railway Board

Copy to:

1. PFAs of all Zonal Railways and Production Units;
2. All EDs of ED level Empowered Committee in Railway Board;
3. All Directors of GST Cell, Railway Board;
4. Director/ Finance, CRIS, New Delhi;
5. GM/GSTM, CRIS, New Delhi.

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/ (RAILWAY BOARD)

अति तत्काल
आरबीए सं. 14/2020
जीएसटी परिपत्र सं. 9/2020

सं. 2018/एसी-III/1/14

11.02.2020

महाप्रबंधक,

सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय : जीएसटीआर-2ए डाटा का मिलान - इनपुट टैक्स क्रेडिट समाधान.

संदर्भ : रेलवे बोर्ड का परिपत्र (आरबीए सं. 13/2020 दिनांक 4.02.2020)

जिन बीजकों का जीएसटीआर-2ए में मिलान नहीं हो रहा है, उनकी बीजक संख्या, बीजक तारीख एवं आपूर्ति के स्थान में शुद्धि करने के लिए फरवरी, 2020 के पहले सप्ताह में आईपीएस में एक सुविधा प्रदान की गई है। टी4 एवं सी2 कोटि जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट न लिया गया है/न ही समायोजित किया गया है, में शुद्धियां करने की अनुमति दी गई है। क्रिस/एएसपी टीम द्वारा डाटा उपलब्ध करा दिया गया है। आईपीएस एप्लीकेशन की होम स्क्रीन पर यूजर मैनुअल भी उपलब्ध करा दिया गया है।

बोर्ड के उक्त पत्र में बताए गए प्रोटोकॉल के अनुसार उपर्युक्त डाटा में शुद्धि करने के लिए रेलों द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाए। उपर्युक्त कार्य 14.02.2020 तक अथवा उससे पहले पूरा किया जाए एवं v.prakash@nic.in पर ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाए। इससे भारतीय रेल द्वारा आईटीसी प्राप्त करना सुनिश्चित होगा।

नगदी बहिर्गमन को भारी प्रभाव देते हुए, इस कार्य को 'अति आवश्यक' समझा जाए।



(अंजली गोयल)

प्रधान कार्यपालक निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. सभी क्षेत्रीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयों के प्रधान वित्त सलाहकार;
2. रेलवे बोर्ड में कार्यपालक निदेशक स्तर की सशक्त समिति के सभी कार्यपालक निदेशक;
3. जीएसटी सेल, रेलवे बोर्ड के सभी निदेशक.
4. निदेशक/वित्त, क्रिस, नई दिल्ली.
5. महाप्रबंधक/जीएसटीएम, क्रिस, नई दिल्ली.